न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 25/2020–21

<table>
<tr><th>आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि</th><th>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>1
27/7/21</td><td>

आवेदक रतनु मुण्डा पिता –माका मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम– कामडारा, थाना – कामडारा, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरणी

राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन किस्म
कामडारा	59	215	3180	0.74 एकड़ में से 0.17 एकड़	टांड़

कुल 0.17 (सतरह डिसमिल)

चौहदी :– उत्तर – दीपक मांझी ।
दक्षिण – गाय छोर।
पूरब –सोमा सोय।
पश्चिम – सलन सोय।

जमीन विक्रेता का विवरणी

रतनु मुण्डा पिता –माका मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम– कामडारा थाना – कामडारा, जिला– गुमला (झारखण्ड)

जमीन क्रेता का विवरणी

1. बहुरा बड़ाईक पिता स्व0 सुखराम बड़ाईक जाति चीक बड़ाईक ग्राम बड़कोईली थाना कामडारा, जिला गुमला।

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता बहुरा बड़ाईक पिता स्व0 सुखराम बड़ाईक जाति चीक बड़ाईक ग्राम बड़कोईली, थाना कामडारा, जिला गुमला को आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रूपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, कामडारा को आवेदन भेजते हुए जॉच

</td><td></td></tr>
</table>

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

	प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, कामडारा के कार्यालय के पत्रांक 04 दिनांक 13/07/2021 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति मुण्डा एवं चीक बड़ाईक के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है। अतः अंचल अधिकारी, कामडारा के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक रतनु मुण्डा पिता –माका मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम– कामडारा थाना – कामडारा, थाना – कामडारा, जिला – गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा ...स्वीकृति...... प्रदान की जाती है। लेखापित एवं संशोधित भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता, बसिया (गुमला) (हस्ताक्षर 22/3/22) भूमि सुधार उप – समाहर्त्ता, बसिया (गुमला) (हस्ताक्षर 22/3/22) (मुहर: भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बसिया, (गुमला))	

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.16 15:03:04 +05:30
Location: 192.168.1.10